समाहरणालय, बक्सर
(जिला पंचायत शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) द्वारा दिनांक 05.08.2021 को पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारियों के लिए किये गये समीक्षात्मक बैठक संबंधी कार्यवाही :—

सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारियों के लिए समीक्षात्मक बैठक बिन्दुवार प्रारंभ की गयी, जो निम्नवत है :—

1. **EVM का FLC कार्य** :— जिला निर्वाचन पदाधिंकारी (पं0) महोदय द्वारा जिला में उपलब्ध BU-3602 तथा CU-5909 की जानकारी देते हुए बताया गया कि BEL के 08 अभियंताओं द्वारा EVM FLC का कार्य आज दिनांक 05.08.2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। उनके द्वारा बतलाया गया कि उप विकास आयुक्त, बक्सर को FLC कार्य हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी नामित किया गया है। बैठक के दौरान समान यूनिक आई0डी0 के BU एवं CU के होने संबंधी मामला के बारे में आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के तरफ ई0वी0एम0 नोडल पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशित किया गया कि ऐसे BU एवं CU का उपयोग पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में नहीं किया जायेगा तथा ऐसे BU एवं CU को चिन्हित कर यूनिक आई0डी0 संख्या सहित अलग बॉक्स में रखते हुए उस पर बड़े एवं बोल्ड अक्षरों में **"Duplicate एवं Not to be used in Panchayat Elections, 2021"** का स्टीकर चस्पा दिया जाय तथा इसे अलग संधारित कर दिया जाय। इसका अनुपालन सख्ती एवं पूर्ण सर्तकता के साथ किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की चूक को अक्षम्य मानते हुए कार्रवाई की जायेगी। उन्होनें नोडल पदाधिकारी को यह भी निदेशित किया कि दरभंगा जिला से भी इस प्रकार के मामले लिखित रूप से संज्ञान में लाया गया है, जिसका निदान मिलान करते हुए किया जाना है।
2. **प्रखंड स्तर पर बज्रगृह का निर्माण** :— जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से उनके द्वारा प्रस्तावित बज्रगृह स्थल के बिन्दु पर समीक्षा की गयी, जिसमें उनका जोर इस बात पर रहा कि बज्रगृह का स्थल इस प्रकार का हो जहाँ काफी जगह तथा विधि–व्यवस्था संधारण में आसानी हो। इसी क्रम में उनके द्वारा 01–01 बज्रगृह का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में केवल राजपुर में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव हरियाली भवन सभाकक्ष, राजपुर को बदलकर उच्च विद्यालय, राजपुर में करने का अनुरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा किया गया। शेष सभी का प्रस्ताव सही पाया गया। बज्रगृह स्थल से EVM का Commissioning तथा Party Dispatch का कार्य निष्पादित किया जायेगा। प्रखंड इटाढ़ी में बज्रगृह स्थल के चयन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी को निदेशित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर से समन्वय स्थापित कर स्थल का चयन कर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। बज्रगृह स्थल को आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरूप तैयार करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल बक्सर को तत्काल पत्र प्रेषित कर बज्रगृह की तैयारी संबंधी प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया जाय।

3. **मतगणना स्थल का चयन** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों से मतगणना स्थल के चयन के बिन्दु पर सुझाव की मांग की गयी, जिसमें दोनों पदाधिकारियों द्वारा एक स्वर से मतगणना का कार्य बाजार समिति, बक्सर में कराने का सुझाव दिया गया। बाजार समिति, बक्सर में मतगणना कराने का मुख्य कारण विधि–व्यवस्था का आसानी पूर्वक तथा सक्षमता के साथ संधारण रहा। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रखंड के बज्रगृह स्थल पर केवल EVM Commissioning तथा Party Dispatch का कार्य किया जायेगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा भी मतगणना का कार्य जिला स्तर पर बाजार समिति, बक्सर में कराने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा मतगणना का कार्य जिला स्तर पर बाजार समिति, बक्सर में कराने पर अपनी सहमति दी गयी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि मतगणना कार्य हेतु उपयुक्त स्थान का चयन कर अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना देंगे।
4. **EVM के लिए मतपत्र का मुद्रण** :– आयोग द्वारा EVM के लिए मतपत्र का मुद्रण जिला स्तर के प्रेस से कराने का आदेश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा मतपत्र कोषांग के नोडल पदाधिकारी–सह–उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर मतपत्र के मुद्रण हेतु प्रेस का चयन कर आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरूप मतपत्र का मुद्रण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।
5. **मतपेटिका के मतपत्र का मुद्रण** :– आयोग के निदेशानुसार मतपेटिका के लिए मतपत्र का मुद्रण सरस्वती प्रेस, कोलकाता से आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराया जाना है। यह कार्य निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सरस्वती प्रेस, कोलकाता से मतपत्र मुद्रण हेतु पदाधिकारी के साथ–साथ अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था तैयार रखें, ताकि निर्धारित समयावधि में इसे निष्पादित किया जा सके तथा मतपत्र मुद्रण हेतु चयनित पदाधिकारी से संबंधित जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को 01 सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6. **आदर्श मतदान केन्द्र का चयन** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आदर्श मतदान केन्द्र के निर्माण पर ज्यादा व्यय नहीं करना है। केवल यह सुनिश्चित कर लेना है कि आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में चयनित मतदान केन्द्र पर आयोग द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो।
7. **FLC कार्य में मास्टर ट्रेनरों का शामिल होने के संबंध में** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आयोग के निदेशानुसार मतदान दिवस को सभी पंचायतों में EVM Cluster का निर्माण किया जाना है, जहाँ पदाधिकारी के साथ वैसे मास्टर ट्रेनरों जिन्हें EVM संचालन की अच्छी जानकारी हो को प्रतिनियुक्त किया जाना है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जारी FLC के द्वारा EVM संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु 20-30 की संख्या में प्रतिदिन मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति, जिनमें पंचायत रोजगार सेवक/आवास सहायक/कार्यपालक सहायक को FLC स्थल पर प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाय। यह कार्य नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग द्वारा किया जाना है, जिसका अनुश्रवण उप विकास आयुक्त, बक्सर द्वारा किया जायेगा।

8. **मतदाता सूची की तैयारी** :– नगर पंचायत के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में संशोधन किया जाना है। यह कार्य मुख्य रूप से 04 प्रखंड यथा–बक्सर/चौसा/डुमराँव एवं ब्रह्मपुर में किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मतदात सूची संबंधी तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्हें आंशिक वार्ड वाले मामले में सतर्क होकर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निदेश दिया गया। मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में प्राप्त आपत्ति का निष्पादन दिनांक **05.08.2021** तक करते हुए संशोधन संबंधी सभी पूर्ण कार्रवाई दिनांक **10.08.2021** तक कर लेना है।
9. **मतदान केन्द्रों की तैयारी** :– नगर पंचायत के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों के मतदान केन्द्रों की सूची में भी संशोधन किया जाना है, जिसके तहत प्राप्त आपत्ति का निराकरण दिनांक **14.08.2021** तक करते हुए अंतिम रूप से मतदान केन्द्रों की तैयारी दिनांक **18.08.2021** तक कर लेना है। सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।
10. **मतपेटिका का ग्रिसिंग एवं तैलीकरण का कार्य** :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय को जानकारी दी गयी कि कुल 4000 मतपेटिकाओं का ग्रिसिंग एवं तैलीकरण का कार्य निविदा के आधार पर चयनित कार्यकारी एजेन्सी से कराया जा रहा है।
11. **परिवाद पत्र का निस्तारण** :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर द्वारा सूचित किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त कुल 17 परिवाद पत्रों में से 13 का निष्पादन कर इससे राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है। लंबित 04 परिवाद पत्रों का निस्तारण शीघ्र करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिला स्तर पर प्राप्त कुल 11 परिवाद पत्रों में से 05 का निष्पादन कर दिया गया है तथा शेष 06 लंबित परिवाद पत्रों के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।
12. **RO एवं ARO संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को निदेशित किया गया कि स्थानांतरण एवं अन्य कारणों से **RO** एवं **ARO** के नाम/पदनाम में यदि संशोधन की आवश्यकता है तो 02 दिनों के अन्दर संशोधित सूची आयोग के अनुमोदन हेतु जिला पंचायत शाखा, बक्सर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. **निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर कोषांग गठन संबंधी सूचना** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों को शीघ्र कोषांग गठन करने का निदेश देते हुए इससे संबंधित सूचना तत्काल जिला पंचायत शाखा, बक्सर को भेजने का निदेश दिया गया।
14. **मतदान कार्मिक** :– नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय को सूचित किया गया कि आवश्यकतानुरूप मतदान कार्मिक जिला में उपलब्ध हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा महिला कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी मामला को आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप करने का निदेश दिया गया।

15. **प्रशिक्षण** :– नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग द्वारा सूचित किया गया कि मास्टर ट्रेनरों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया जा चुका है। मतदान कार्मिक एवं अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है।

16. **मतदान सामग्री** :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर द्वारा सूचित किया गया कि निविदा निस्तारण का कार्य अंतिम चरण में है। शीघ्र ही सामग्री आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् सामग्री की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा निविदा का निस्तारण तत्काल करने का निदेश देते हुए उप विकास आयुक्त, बक्सर से इस कार्य का अनुश्रवण करने हेतु कहा गया। समीक्षा के क्रम में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों खासकर सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि किसी प्रकार की सामग्री प्राप्त करते वक्त प्राप्ति रसीद पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। किसी भी हालात में लिपिक या कार्यालय परिचारी प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसका अनुपालन अचूक रूप से सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को करना होगा।

17. **विधि–व्यवस्था** :– विधि–व्यवस्था कोषांग की समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए विधि–व्यवस्था के बिन्दु पर त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। इस क्रम में अपराधियों एवं अवांछित तत्वों के विरूद्ध विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है। अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–12 एवं 03(A) में प्राप्त अधिकांश प्रस्ताव प्रभावी नहीं रहने के कारण गृह (विशेष) विभाग, बिहार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकी है। उसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 की धारा–107, 110 एवं 116 के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त होना चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उनके क्षेत्र में वैसे वांछित अपराधी जिनपर CCA की प्रभावी कार्रवाई हो सकती है, के संबंध में थानाध्यक्ष को सहयोग कर प्रस्ताव भेजवा सकते हैं। समीक्षोपरांत विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, विधि–व्यवस्था कोषांग को निदेशित किया गया कि विधि–व्यवस्था की प्रभावी कार्रवाई हेतु SDO/SDPO को पत्र निर्गत करें तथा इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, बक्सर को भी भेजें।

18. **संचार योजना कोषांग** :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा संचार योजना कोषांग के नोडल पदाधिकारी–सह–जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में संचार योजना का महत्व अधिक है। इसीलिए निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से संचार योजना का निर्माण सतर्कतापूर्वक एवं अचूक रूप से यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय। स्थानांतरण आदि के कारण पूर्व निर्मित संचार योजना में संशोधन की आवश्यकता है। इसका निदान यथाशीघ्र करते हुए संशोधित संचार योजना का निर्माण किया जाना होगा।

अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) महोदय द्वारा सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को आपसी समन्वय एवं सहयोग के साथ आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में अचूक रूप से टीम वर्क के रूप में कार्य करने का निदेश देते हुए सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0),
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांक 16–1525/पं0, दिनांक 06/08/2021

प्रतिलिपि : सभी निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/21
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0),
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।